

परियोजना का नाम :- मा० मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या-786/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चक्रता के विकासखण्ड कालसी में ग्राम लखस्यार (समरजेस रोड) से मुवानी छानी लुधेरा मोटर मार्ग का समरेखण प्रस्ताव कि०मी० 1 से ४७९०० कि०मी० तक।

### भाग-2

#### (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

7. परियोजना या रकीम की अवस्थिति  
 (i) राज्य / संघराज्यशोब्द  
 (ii) ज़िला  
 (iii) ज़िला वन प्रभाग  
 (iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र
8. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी मई वन भूमि की विधिक प्रारिथति  
 9. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनरप्ति का व्यौरा  
 (i) वन का प्रकार  
 (ii) वनरप्ति का औसत पूर्ण धनत्व ०.२  
 (iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिमाणन  
 (iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा
10. भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर सक्षिप्त टिप्पणि
11. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :
12. वन जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्वता :  
 (i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का व्यौरा  
 (ii) क्या शास्त्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यास जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याध रिजर्व, हाथी कोरीडार वन्यजीव अल्पवास गणियारे आदि के भाग का निर्गमन करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यारे और उपावक्ष के जाने में मुख्य क्षय जीव वार्डन की ओर टीका टिप्पणियाँ उपावक्ष की जाए)  
 (iii) क्या किसी शास्त्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यास जैव क्षेत्र आरक्षण व्याध रिजर्व, हाथी मतियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यारे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका टिप्पणियाँ उपावक्ष की जाए)

14

- (iv) क्या राज्यीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यासण जैव क्षेत्र आरक्षण यादृच्छिक, हाथी मलियारे वन्य जीव सुत्प्रवास आदि पूरोक्षण के लिए उपयोगित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक किमी के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के बाहर और मुख्य वन्य जीव बाँड़न की टीका-टिप्पणियों उपायकद्ध की जाए)

(v) क्या क्षेत्र में बनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किसी के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके बाहर

13. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपायकद्ध किए जाने के लिए राज्यम् प्राधिकारी से अनापति प्रमाण-पत्र (एन ओ री) के साथ उसका बौरा दें)

14. पूरोक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विरतार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :

  - (i) क्या भाग - 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए
  - (ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश कि

15. किए गए अतिकमण के बारे :

  - (i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिकमण में किसी कार्य को किया गया है (हाँ/ नहीं)
  - (ii) यदि हाँ, की गई कार्य अपरिहार्य, अतिकमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिकमण के लिए
  - (iii) क्या अतिकमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हाँ/ नहीं)
  - (iv) क्या अतिकमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हाँ/ नहीं)
  - (v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यवहार (मूल्य) है,
  - (vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से यहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपरिव्यवहार संरक्षक रो प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हाँ/ नहीं)

17. बनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित फियाकलायों के समाप्ति से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हाँ/ नहीं)

संग्रहीत दिनांक १५-०८-२०१९

**प्रभावी**

रक्षक की विनियोग - ₹ 16,500/- इनका लाभ दरमा  
 उपर्युक्त कार्य अतः को Finally नहीं लाभ  
 को दोषित भी नहीं है तभी ताकि कोई का  
 लाप्ति करी जाए, जिसके ₹ 2,00,000/-  
 हरताक्षर  $\times$  = ₹ 9,84,000/-

नाम SP दिल्ली (B.E)

सरकारी भौहर

卷之四